कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Phone/Fax-2767611
Email- Nodalofficerddn@gmail.com

पत्रांकः–215 /FP/UK/ROAD/22108/2016 दिनॉकः देहरादून 22 जुलाई, 2021

सेवा में,
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25–सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः–जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत बगोली–जटाकोटी–ग्वालखेत–पैखोली मोटर मार्ग का बैनीताल तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.606 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः–भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के **EDS** दिनांक 17.03.2021

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS** दिनांक 17.03.2021 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी के पत्रांक 89/12–1 दिनांक 09.07.2021 एवं प्रभागीय वनाधिकारी के पत्रांक 85/12–1 दिनांक 05.07.2021 से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह अपने स्तर पर प्रस्ताव की जांच कर पूर्ण उत्तर प्रस्तुत करें।	प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ने अवगत कराया है कि उक्त वन भूमि प्रस्ताव की जांच कर ली गई है, वर्तमान में प्रस्तावित मोटर मार्ग बगोली कोटी के विस्तारीकरण (निर्माणाधीन) से प्रारम्भ होता है, जो कि सिमल–बेनीताल मोटर मार्ग का जंगलचट्टी तक विस्तारीकरण होने पर किमी0 5.00 पर विलय होगा। जबकि सिमली–बेनीताल मेटर मार्ग का जंगलचट्टी तक विस्तारीकरण का वन भूमि हस्तातरण प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग द्वारा पोर्टल पर ऑनलाईन किया जा चुका है। जिसका ऑनलाईन प्रपोजल नं0–FP/UK/ROAD/39410/2019 है, उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से जनमानस/क्षेत्रवासियों को कुमाऊँ मण्डल से अपने व्यवसाय के आदान प्रदान करने में सुविधा होगी तथा ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण हेतु कम दूरी तय करनी पड़ेगी।

2	राज्य सरकार पूर्व से निर्मित मार्ग तथा प्रस्तावित को kml file पर अलग–अलग रंगों से अंकित कर प्रस्तुत करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन पोर्टल में पूर्व निर्मित मार्ग तथा प्रस्तावित मार्ग को kml file पर अलग–अलग रंगों से अंकित कर अपलोड कर दिया गया है।
3	इसके अतिरिक्त राज्य सरकार पूर्व में निर्मित मार्ग में एफ0सी0 एक्ट, 1980 के तहत जारी अनुमोदन का पूर्ण विविरण भी प्रस्तुत करें।	पूर्व निर्मित मार्ग बगोली–कोटी के निर्माण हेतु भारत सरकार एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या–08बी0/यू0सी0पी0/06/109/2016/एफ0सी0/122 दिनांक 19–05–2020 द्वारा 6.00 किमी0 मार्ग के निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक / FP/UK/ROAD/22108/2016/ दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी को उनके पत्रांक 89/12–1 दिनांक 09.07.2021 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

(डा0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।